FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम........

सारो देवी वगैरह बनाम तहसीलदार बायतु

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 219 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/8/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 RLL राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7/9/2020 को पेश हो। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। विवेक व्यास	
07/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित/तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली फाईल दिनांक 30/09/2020 को पेश हो।	
30/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित/तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील मौका रिपोर्ट से सहमत है। हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन रेकर्ड का अवलोकन प्रार्थी का मूल आवेदन स्वीकार किया जाकर फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मौसूल अमल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–219/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. सारोदेवी पत्नी अणदाराम 2. जोगाराम पुत्र गोरधनराम 3. ठाकराराम पुत्र मोडाराम 4. हडुमानराम पुत्र मोडाराम 5. पेम्पोदेवी पत्नी विशनाराम उर्फ बन्नाराम 6. गणेश कुमार पुत्र विशनाराम उर्फ बन्नाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पेम्पोंदेवी विप्रार्थी संख्या 4 जाति जाट निवासी लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश दिनांकः–30/9/2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री कुम्भसिंह चौधरी एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत मौजा लुणाड़ा पटवार मण्डल लुणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1545/793, 1365/793, 1366/793 रकबा क्रमशः 4.8540, 6.3911, 3.8832 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 793 के भाग है। प्रार्थीगण के मध्य विभाजन के समय लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त व विभाजन के अनुसार नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई।

तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार हरे रंग से तरमीम प्रस्तावित की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा लुणाड़ा पटवार मण्डल लुणाडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1545/793, 1365/793, 1366/793 रकबा क्रमशः 4.8540, 6.3911, 3.8832 हैक्टेयर व स्थापित टॉवर खसरा नम्बर 1546/793 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पूर्व

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

...ई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में ...ग के अनुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 30/9/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सत्यमेव जयते

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested